(202)

यालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

जिला रीवा (म.प्र.)

नि0-504-II/16

बद्री प्रसाद पिता जगन्नाथ काछी निवासी ग्राम टिकुरा 37 तहसील मनगवां जिला रीवा (म.प्र.)

.........निगरानीकर्ता

बनाम

1- लक्ष्मण उम्र 52 वर्ष पेशा- खेती
2- हीरालाल उम्र 50 वर्ष पेशा-खेती
3- तिजिया उम्र 70 वर्ष त्रिवेणी प्रसाद पेशा-गृहिणी गैर निगरानीकर्ता क्र.-1,2 के पिता त्रिवेणी प्रसाद निवासी ग्राम टिकुरी 37 तहसील मनगवां जिला रीवा (म.प्र.)

.... गैरनिगरानीकर्ता

दिनांक 8-2-2016 को श्री विनोद कुमार पाठक अधि. द्वारा प्रस्तुत

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय के पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 84/पुर्नविलोकन/14-15 आदेश दिनांक 29.01.2016

8-2-16
SO

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू.रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं :-

यह कि गैरनिगरानीकर्ता के पिता द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध तहसीलदार तहसील मनगवां की न्यायालय में आराजी नं. 919/2 एवं 920 स्थित ग्राम टिकुरी 37, तहसील न्यायालय में धारा 250, म.प्र.भू.रा. सं. 1959 का आवेदन पत्र पेश किया था, जो दिनांक 14.07.14 को स्वीकार हुआ, जिसकी अपील निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां की न्यायालय में ... अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 504–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता अधिवक्ता श्री उमेश कुमार मिश्रा उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क ग्राह्यता पर सुने। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 84/पुर्नाविलोकन/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि गैरनिगरानीकर्ता के पिता द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्व तहसीलदार तहसील मनगंवा की न्यायालय में आराजी न0 919/2 एवं 920 रिस्थत ग्राम टिकुरी 37 तहसील न्यायालय में धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा के अन्तर्गत आवेंदन पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 14.7.14 को स्वीकार हुआ जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगंवा की न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर अनुविभागीय द्वारा दिनांक 24.3. 2015 को अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व अपर आयुक्त	

रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 29.9.15 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुये अपील अमान्य की गई जिससे परिवेदित होकर पुर्नावलोकन का आवेदन पत्र अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा में प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 84/पुर्नाबलोकन/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.1.2016 से स्वीकार किया किया गया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि गैरनिगरानीकर्ता के पिता निगरानीकर्ता के सगे बडे पिता है तथा निगरानीकर्ता के पिता का स्वर्गवास जब वह 6 माह का था उसी समय हो गया था जिसका लालन पालन गैरनिगरानीकर्ता के पिता स्व0 बाबा के द्वारा किया जाता था। विवादित आराजी न0 919/2 व 920 को रामनिहोर तनय बल्देव कहार से मेरे बाबा ने गैरनिगरानीकर्ता के पिता के हक में विकय पत्र लिख दिया तथा मेरे बाबा द्वारा खेती बाडी का कार्य किया जाता था । संयुक्त परिवार के आय से दिनांक 7.6. 1965 को गैकरनिगरानीकर्ता के पिता के हक में विकय पत्र लिखवा दिया तथा मेरे तथा निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता के पिता के मध्य विभाजन 24.9.1987 को हुआ और उक्त दिनांक को एक याददाश्त लेख तैयार किया गया था। जिसमें गवाहों ने हस्ताक्षर भी

किये है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश निरस्त किया जावे।

4– कैवियेटकर्ता अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार का आदेश उचित है और अपर आयुक्त रीवा द्वारा पुर्नावलोकन में जो आदेश पारित दिनांक 29.1.2016 को किया गया है वह उचित है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिस्ट कागजात प्रस्तुत कर उसमें खसरा एवं रजिस्टर्ड की छाया प्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी अस्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 29.01.16 स्थिर रखा जावे।

5– – मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्व अनुविभांगीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा स्वीकार की गई तथा उसके विरूद्व अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुये

अपील निरस्त की गई जिसके विरूद्व लक्षमण के द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में पुर्नावलोकन प्रस्तुत कर बताया गया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि है । खसरे में आवेदक भूमिस्वामी है। अनावेदक द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया गया है। आवेदक का पुर्नावलोकन स्वीकार किया गया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खसरे में अनावेदकगण के पिता का नाम अंकित है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 84/पुर्नाविलोकन/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य